

(भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल)

सरल-2016

.....योजना का नाम जिसमें आवेदन किया जा रहा है।

1. - हिताधिकारी का नाम.....
2. - पिता/पति का नाम.....
3. - जन्मतिथि व आयु..... आयु (वर्षों में).....
4. - पता मकान संख्या.....मौहल्ला.....
ग्राम पंचायत (ग्रामिण क्षेत्र) वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र).....
ब्लॉक/शहर.....जिला.....

हिताधिकारी
की पासपोर्ट
फोटो चिपकाएँ

5. - हिताधिकारी द्वारा किया जाने वाला कार्य (बेलदार, मिस्त्री, बिजली का कार्य, नल का कार्य, मजदूर आदि)
.....

6. - हिताधिकारी से सम्बन्धित अन्य जानकारी :-

- (6.1) भामाशाह कार्ड/नामांकन संख्या.....(6.2) आधार कार्ड संख्या.....
- (6.3) मोबाईल नं0.....(6.4) हिताधिकारी का पंजीयन सं0 एवं तिथि.....
- (6.5) अंतिम बार अंशदान जमा करने की तिथि.....
- (6.6) पंजीयन अधिकारी का पद नाम व स्थान.....

(श्रम विभाग / बीडीओ / सानिवि / पीएचईडी / जल संसाधन विभाग आदि)

- (6.7) हिताधिकारी/बच्चे का बैंक खाते का विवरण :-

1. बैंक का नाम..... 2. बैंक की शाखा का नाम.....
3. खाता संख्या..... 4. बैंक का आईएफएससी कोड.....

(यदि हिताधिकारी के नामित द्वारा आवेदन किया जा रहा है तो नामित का आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड/नामांकन तथा बैंक खाता विवरण अंकित करें)

7. - यदि पति - पत्नी दोनों हिताधिकारी है तो पत्नी/पति के सम्बन्ध में जानकारी :-

- (7.1) हिताधिकारी (पति/पत्नी) का नाम.....(7.2) पंजीयन सं0 व तिथि.....

आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि

हिताधिकारी के ह0 / अंगुठा

प्रसुति सहायता योजना

मैं.....पत्नी श्री.....आयु.....निर्माण श्रमिक हूं तथा
वर्तमान में मैं/अन्तिम बार मैंने.....
..... मोबाईल नं0.....में निर्माण श्रमिक के रूप में
दिनांक.....से दिनांक.....तक कार्य कर रही हूं/किया है।

मैंने दिनांक.....को स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल.....
..... में पुत्र/पुत्री को जन्म दिया है। इससे पूर्व मेरे.....सन्तान है।
यह आवेदन मैंने प्रथम बार/द्वितीय बार योजना का हितलाभ प्राप्त करने हेतु दिया है।

मैं यह प्रमाणित करती हूं कि मेरे द्वारा दिया गया समस्त विवरण सही है। यदि द्वारा
दो से अधिक बार प्रसुति सहायता लिया जाना अथवा मिथ्या आधार पर हितलाभ लेने का दोषी
पाया जाता है तो मैं सहायता राशि लौटाने के लिये बाध्य रहूंगी।

हिताधिकारी के हस्ताक्षर